इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 जनवरी 2015-पौष 24, शक 1936

### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. एफ-16-1-2015-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पिठत धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से 07 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जावेगा.

किसी भी ऐसी आपित्त या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध का अवसान होने के पूर्व अतिरिक्त सिंचव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

#### संशोधन का प्रारूप

#### उक्त नियमों में,-

- (1) नियम 77 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम, स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
  - "(2) किसी मतदान केन्द्र के लिए मतों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए क्रमशः प्ररूप 16, 17, 18 एवं 19 में परिणाम-पत्र के भाग एक में प्रविष्टियां करेगा और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की संख्या आख्यापित करेगा."

- (2) नियम 80 में, उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम, स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
  - "(8) उप-नियम (7) के अधीन परिणाम-पत्र प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य के किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र में प्राप्त मतों की कुल संख्या की प्रविष्टि क्रमशः प्ररूप 16, 17, 18 एवं 19 के पश्चात्वर्ती भाग अथवा भागों में करेगा या करवाएगा और परिणाम-पत्र को पूर्ण करते हुए हस्ताक्षर करेगा."
- (3) प्ररूप 16 में,-
  - (एक) शब्द ''पंचायत निर्वाचन'' के स्थान पर शब्द ''पंचायत निर्वाचन भाग-एक'' स्थापित किया जाए, और
  - (दो) वर्तमान प्ररूप 16 के नीचे निम्नलिखित नवीन प्ररूप अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात:-

पंचायत निर्वाचन

"प्ररूप-16 [नियम 77 (2) देखिए] भाग-दो खण्ड स्तरीय

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या					
		मतदान	मतदान	मतदान	मतदान	मतदान	
		केन्द्र क्र.	केन्द्र क्र.	केन्द्र क्र.	केन्द्र क्र.	केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		// www.	2400000400040				
	SAGRAMA		5005360				
							·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
****	VALUE AND COMMON AND C						
	A W - 4 CORE (COO CORE (COO COO COO COO COO COO COO COO COO CO		77.				
			**************************************				
(क)	विधिमान्य मतों की कुल संख्या						
(평)	प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या						
(ग)	डाले गये मतों की कुल	· <del>- :</del>					

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/ रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

अनुक्रमांक	अध्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या						
		मतदान	मतदान	मतदान	मतदान	मतदान		
		केन्द्र क्र.	केन्द्र क्र.	केन्द्र क्र.	केन्द्र क्र.	केन्द्र क्र.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		V						
							200	
1111 (C)			***************************************					
(क)	विधिमान्य मतों की कुर	न संख्या						
· · · · · (평)								
(ग)	डाले गये मतों की कुल							
ातगणना का स्थ	ग्रान · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
गरीख	• • • . • • • • • • • •							
						 फेसर (पंचायत)		
						सर (पंचायत) ह		
					पाधिक	त अधिकारी		

F 16-1-2015-XXII-P-2.—The Following Draft of Amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995 Which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to beaffected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expriy of 07 days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gagette".

Any objection or suggestion which may be received by the Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya Vallabh Bhawan Bhopal from any person with respect to the said draft of Amendment before the period specified above shall be considered by the State Government.

#### DRAFT OF AMENDMENT

In the Said rules,-

- (1) In rule 77, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely:—
  - "(2) After the counting of votes in respect of a polling station has been completed, the Returning Officer or such other officer authorized by him shall make the entries in part-one of form 16, 17, 18 and 19 of the result sheet for Panch, Sarpanch, members of Janpad Panchayat and Zila Panchayat respectively and announce the total number of votes polled by each candidate.";

(0)

(2)	In rule 80, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
"(8)	The Returning officer, on receipt of result sheets under sub-rule (7) shall enter or cause
	automod the total assessment of section of 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

entered the total number of votes polled by each candidate contesting for a seat of Panch, Sarpanch, member of Janpad Panchayat or member of Zila Panchayat at each polling station of the concerned constituency in subsequent part or parts of form 16, 17, 18 and 19 respectively and complete and sign the result sheet."

and complete and sign the result sheet.";

To male 00 for male (0) (1 - C-11)

(3) In Form 16,—

- (i) for the words "Panchayat Nirvachan" the words "Panchayat Nirvachan PART-ONE" shall be substituted; and
- (ii) below existing Form-16, the following new Form shall be inserted, namely:—

"FORM - 16 [See Rule 77 (2)] Panchayat Nirvachan PART-TWO BLOCK LEVEL

Result of counting of votes for election of Panch Ward No. . . . . . . . . of Gram Panchayat . . . . . . . .

Serial	Name of	Valid Votes Casted in Favour of Candidate					
No.	Candidate	Polling	Polling	Polling	Polling	Polling	
		Station	Station	Station	Station	Station	
		Number	Number	Number	Number	Number	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Place of Counting. . . . . . . . . .

Returning Officer (Panchayat)/ Officer authorized by Returning Officer (Panchayat)

In	Case of dearth of	of space, back page	may be used					
Serial	Name of	Valid Votes Casted in Favour of Candidate						
No.	Candidate	Polling	Polling	Polling	Polling	Polling		
		Station Number	Station Number	Station	Station Number	Station Number		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	. (8)	
				-				
		NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE						
				W			·········	
(a)	Total No. of val	lid Votes						
(b)	Total No. of Re	jected Votes						
(c)	Total No. of Vo	tes Polled						
Place of	Counting							
Date								
				-	D	(D 1 )		

Returning Officer (Panchayat)/ Officer authorized by Returning Officer (Panchayat)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.